कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांकः—RTA 2—6/2022(P-1),................../दिनांक................

आदेश

सभी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 282 दिनांक 15.04.2023 द्वारा इस प्राधिकार अन्तर्गत परिचालित होने वाली 1161 बसों की सूची संलग्न करते हुए संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया था एवं दैनिक समाचार पत्र में भी विज्ञापन दिया गया कि सभी वाहन स्वामी द्वारा अपने—अपने वाहन के मान्य कागजात, यथा—टैक्स, बीमा, दुरूस्ती एवं प्रदुषण प्रमाण—पत्र आदि अद्यतन रखा जाए। बिना अद्यतन कागजात के वाहन/बस का परिचालन नियमानुकुल नहीं है। आदेश निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अधीन सभी कागजातों को अद्यतन करने का आदेश था जिसके बाद प्रमादी वाहन करारोपण के लिए बाध्य समझे जाऐंगे। आज दिनांक 02.05.2023 को सभी सूचीवद्ध स्टेज कैरेज वाहनों की पुनः समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि अभी भी अधिकतर वाहन टैक्स प्रमादी हैं।

अतः आदेश दिया जाता है कि जिन वाहनों का प्रदुषण, बीमा एवं दुरूस्ती प्रमाण—पत्र आदि कागजात समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि के सात (07) दिनों के बाद अर्थात दिनांक 27.04.2023 तक अद्यतन नहीं है वे सभी संबंधित धारा के अधीन प्रमादी घोषित किये जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर, श्री वरूण कुमार मिश्रा एवं संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त नियमानुसार करारोपण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाये। जुर्माना राशि जमा करने तक वाहन का परिचालन बन्द रहेगा। यदि इस आदेश की तिथि के 15 दिनों में भी अनुपालन नहीं होता है तो परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जाये।

02/05/2023

आयुक्त—सह—अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः— 325 /परि० दिनांकः— 02/05/23.

प्रतिलिपिः—सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। परिचालित 1161 वाहनों की सूची संलग्न है।

02/05/2023

आयुक्त—सह—अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।